गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा)

सेक्टर–7, गीडा, गोरखपुर
ईमेल–आईडी : ceogida-up@up.gov.in/ceogida@rediffmail.com

पत्रांक : 24 /सम्पत्ति–नौ/कार्या0ज्ञाप/2023–2024, दिनाँक : 14 मार्च, 2024

कार्यालय–ज्ञाप

गीडा प्राधिकारी बोर्ड की दिनांक 04.03.2024 को सम्पन्न 60वीं बैठक के प्रस्ताव संख्या 60:17 पर लिये गये निर्णय के क्रम में गीडा द्वारा विभिन्न योजनाओं यथा–औद्योगिक, व्यवसायिक, ट्रांसपोर्ट नगर, संस्थागत एवं आवासीय में आवंटित भूखण्डों के प्रकरणों में समय विस्तारण शुल्क एवं पुनर्जीवीकरण शुल्क को युक्तिसंगत बनाये जाने के उद्देश्य से, तत्काल प्रभाव से समय विस्तारण शुल्क एवं पुनर्जीवीकरण शुल्क के पूर्व के समस्त आदेशों को अवक्रमित करते हुए निम्नवत् निर्धारित किया जाता है :–

(क) औद्योगिक भूखण्डों हेतु

1 – समय विस्तारण शुल्क

क्र0 सं0	अवधि	समय विस्तारण शुल्क
1	आवंटन तिथि से 02 वर्ष तक	कोई समय विस्तारण शुल्क नहीं।
2	आवंटन तिथि से 02 वर्ष से 03 वर्ष तक	तत्समय प्रचलित प्रीमियम का 01 प्रतिशत, समय विस्तारण शुल्क।
3	आवंटन तिथि से 03 से 04 वर्ष तक	तत्समय प्रचलित प्रीमियम का 02 प्रतिशत, समय विस्तारण शुल्क।
4	आवंटन तिथि से 04 से 05 वर्ष तक	तत्समय प्रचलित प्रीमियम का 03 प्रतिशत, समय विस्तारण शुल्क।
5	आवंटन तिथि से 05 से 06 वर्ष तक	तत्समय प्रचलित प्रीमियम का 04 प्रतिशत, समय विस्तारण शुल्क।
6	आवंटन तिथि से 06 से 07 वर्ष तक	तत्समय प्रचलित प्रीमियम का 05 प्रतिशत, समय विस्तारण शुल्क।
7	आवंटन तिथि से 07 से 08 वर्ष तक	तत्समय प्रचलित प्रीमियम का 06 प्रतिशत, समय विस्तारण शुल्क।
8	आवंटन तिथि से 08 से 09 वर्ष तक	तत्समय प्रचलित प्रीमियम का 07 प्रतिशत, समय विस्तारण शुल्क।
9	आवंटन तिथि से 09 से 10 वर्ष तक	तत्समय प्रचलित प्रीमियम का 08 प्रतिशत, समय विस्तारण शुल्क।

नोट – (i) आवंटन तिथि 10 वर्ष के पश्चात् भी यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों यथा–शासनादेश/मा0 न्यायालय के आदेश/सक्षम स्तर से प्राप्त निर्देश या किसी अन्य कारणों से समय विस्तारण किया जाना अनिवार्य होने की स्थिति में तत्समय प्रचलित प्रीमियम का 10 प्रतिशत समय विस्तारण शुल्क आगामी वर्षों हेतु प्रभावी रहेगा।

(ii) यदि किसी प्रकरण में इकाई स्थापना हेतु नियमानुसार अनुमन्य अवधि 02 वर्ष से अधिक है, तो उक्त प्रकरणों में अनुमन्य अवधि के पश्चात् समय विस्तारण शुल्क उपरोक्त तालिका में दर्शायी गयी दरों के अनुसार आगामी वर्षों हेतु Shift होते हुए प्रभावी होंगी।

Scanned with CamScanner

– पुनर्जीवीकरण/पुनर्जीवीकरण शुल्क

प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड का आवंटन प्रचलित नीति व नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार निरस्त किया जायेगा। भूखण्ड का आवंटन निरस्तीकरण की दशा में उक्त भूखण्ड का पुनर्जीवीकरण तत्समय प्रचलित प्रीमियम का 15 प्रतिशत की दर से पुनर्जीवीकरण शुल्क एवं समस्त अद्यतन देयताओं की देयता के साथ अनुगन्य किया जा सकेगा।

भूखण्ड के पुनर्जीवीकरण हेतु आवेदन आवंटन निरस्तीकरण की तिथि से 90 दिनों के अन्दर पूर्व आवंटी द्वारा प्राधिकरण में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। भूखण्ड का निरस्तीकरण की तिथि से 90 दिनों के पश्चात् पुनर्जीवीरण हेतु आवेदन किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा। भूखण्ड पुनर्जीवीकरण की तिथि से 02 वर्ष में आवंटी द्वारा भूखण्ड पर इकाई स्थापित कर उत्पादन में लाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में भूखण्ड का आवंटन पुनः निरस्त कर दिया जायेगा।

3 – औद्योगिक भूखण्डों हेतु वर्तमान में प्रचलित पुनः पुनर्जीवीकरण की नीति यथावत लागू रहेगी।

4 – ऐसे पुराने प्रकरणों में जिनमें सभी प्रकार के भूखण्डों का पुनर्जीवीकरण किया जा चुका है परन्तु निर्धारित तिथि तक आवंटी द्वारा इकाई की स्थापना नहीं की गयी, उन प्रकरणों में 02 वर्ष का अन्तिम अवसर (समय समाप्ति के पश्चात्), नियमानुसार निर्धारित समय विस्तारण शुल्क लेते हुए, समय विस्तारण किया जा सकेगा। यह सुविधा ऐसे आवंटन जिनमें निरस्तीकरण नहीं हुआ है/नये आवंटन में प्रभावी नहीं होगी।

5 – भूखण्ड के पुनर्जीवीकरण हेतु उपरोक्तानुसार आवेदन प्राप्त न होने पर प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड की रि–इन्ट्री कर कब्जा प्राप्त करते हुए, नियमानुसार भूखण्ड का पुनः आवंटन किये जाने की प्रकिया अपनायी जायेगी।

6 – गीडा प्राधिकारी की दिनांक 22.05.2022 को सम्पन्न 58वीं बैठक के प्रस्ताव संख्या 58:7 पर लिये गये निर्णय के क्रम में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या–1739/सम्पत्ति–नौ/कार्या0ज्ञाप/2023–24 दिनांक 28.07.2023 यथावत लागू रहेगा।

(क) <u>वाणिज्यिक, ट्रांसपोर्ट नगर, संस्थागत एवं आवासीय भूखण्डों हेतु</u>

वाणिज्यिक, ट्रांसपोर्ट नगर, संस्थागत एवं आवासीय भूखण्डों में भी समय विस्तारण शुल्क एवं पुनर्जीवीकरण की उपरोक्त व्यवस्था लागू होगी परन्तु समय विस्तारण शुल्क औद्योगिक भूखण्डों हेतु प्रस्तावित दरों के 50 प्रतिशत के आधार पर (सम्बन्धित भूखण्डों के तत्समय प्रचलित प्रीमियम पर) आगणित होगी एवं पुनर्जीवीकरण शुल्क तत्समय प्रचलित प्रीमियम का 10 प्रतिशत लिया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश संख्या–3611/गीडा/सम्पत्ति/2018–19 दिनांक 12.03.2019 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत वाणिज्यिक, ट्रांसपोर्ट नगर, संस्थागत एवं आवासीय भूखण्डों के ऐसे पुराने आवंटन, जिनकों आवंटित हुए 02 वर्ष या उससे अधिक का समय दिनांक 12.02.2019 को पूर्ण हो चुका है उनमें समय विस्तारण शुल्क की गणना दिनांक 12.02.2019 को आवंटन से 02 वर्ष पूर्ण मानते हुए आगामी वर्षों हेतु निर्धारित दर पर की जायेगी।

(अनुज मलिक),
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Scanned with CamScanner

पत्रांक : 24 /उपरोक्त/दिनांकित।

प्रतिलिपि :–

1. मण्डलायुक्त, गोरखपुर/अध्यक्ष, गीडा महोदय के सादर अवलोनार्थ।
2. अध्यक्ष, चैम्बर ऑफ इण्डस्ट्रीज, गोरखपुर को सूचनार्थ।
3. अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती, गोरखपुर को सूचनार्थ।
4. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा।
5. महाप्रबन्धक (वित्त), गीडा।
6. सहायक महाप्रबन्धक (प्र0/सा0), गीडा।
7. समस्त प्रबन्धक (प्र0/सा0), सम्पत्ति अनुभाग, गीडा।
8. समस्त सहायक/कनिष्ठ सहायक/पटल प्रभारी, सम्पत्ति अनुभाग, गीडा।
9. प्रभारी (कम्प्यूटर), गीडा को इस निर्देश के साथ कि इस कार्यालय ज्ञाप को तत्काल गीडा की वेबसाईट पर अपलोड कराते हुए साफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन कराये।
10. सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
11. गार्ड फाईल हेतु।

14/03/24

(अनुज मलिक),
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Scanned with CamScanner